

(2)

किया जाना हो। कक्षा-9-10 में पढ़ाने वाले अध्यापक संबंधित विषय के साथ स्नातक एवं प्रशिक्षित होने चाहिए। पूर्ण माध्यमिक कक्षा-6 से 8 तक अध्यापक स्नातक एवं प्रशिक्षित होने के साथ ही साथ C.TET अथवा UP.TET जूनियर स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। कक्षा-1 से 5 तक शिक्षण के लिये स्नातक, बीटीटीसी प्रशिक्षण के साथ C.TET अथवा UP.TET प्राथमिक स्तर या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।

प्रत्येक ऐसे विद्यालय के लिये सेवा शर्त बनायी जारेंगी, जिसमें परिवीक्षा काल, स्थायीकरण तथा दण्ड के सम्बन्ध में विधिसम्मत प्रक्रिया का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही अवकाश नियम, पेंशन, योग्यता, बीमा, पी०ए० तथा अन्य कल्याणकारी योजना का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। सेवा शर्त अनुरूप होना चाहिए।

विद्यालय के शिक्षक/शिक्षणेत्र कर्मचारियों को कम से कम यही वेतनमान तथा अन्य भले देने होंगे

जो राज्य सरकार के शासकीय/सहायता प्राप्त विद्यालयों के कर्मचारियों को सम्यक्-समय पर दिये जाते हैं किन्तु किसी कारणवश विद्यालय की आप क्षमता इतनी न हो तो येतन राज्य सरकार द्वारा नियांरित चूनाम केतन से किसी भी दशा में कम नहीं होना चाहिए। उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त विद्यालय अन्य शर्तों को भी पूरा करेंगे।

उक्त प्रतिवर्चनों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा यदि इस संबंध में सस्था द्वारा कोई तथ्य गोपन किया गया हो अथवा किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिवर्चनों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चुकू या शिथिलता बरती जा रही है, तो नियत अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त करने का अधिकार शासनादेश संख्या-2762/15-13-91-4(46) 91 दिनांक 30 नवम्बर, 1991 एवं राजका संख्या-1916/15-7-09-01(299)/2007 दिनांक 14 जुलाई, 2009 में वर्णित प्राविचानों के अन्तर्गत गठित समिति में सुरक्षित रहेगा।

मानदीय

(मनोज कुमार द्विवेदी)
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
अयोध्या मण्डल, अयोध्या

पृष्ठांकन संख्या: सी०आ०००३०३०३०५० / ८९१६-२३ / २०१८-१९ दिनांक- उक्तादेश।

- सचिव, माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
- शिक्षा निदेशक(नाम) शिथिर कार्यालय, 18 पार्क रोड लखनऊ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- जिलाधिकारी, अयोध्या।
- जिला विद्यालय निदेशक, अयोध्या।
- निरिक्षक, आंतर भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- प्रबन्धक, भवदीय पालिक स्कूल महोवर बाजार, वारीपास, रानोपाली, (फैजाबाद) अयोध्या।
- गार्ड फाइल।

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
अयोध्या मण्डल, अयोध्या

Bunoli Singh
P.M.C.
DAVIDIA PUNJ L.T.C.
AYODHYA, U.P.

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र प्रीत विहार
नई दिल्ली-110092
सी0धी0एस0सी0ई0/ / 2018-19 दिनांक-13 फरवरी, 2019

महोदय,

पत्रांक: भवदीय पदिक स्कूल महोबरा बाजार, बाईपास, रानोपाली, (फैजाबाद) अयोध्या, उ0प्र0 को सी0धी0एस0सी0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापति प्रमाण-पत्र दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या-2762 / 15-13-91-4(46) 91 दिनांक 30 नवम्बर, 1991 एवं शासनादेश संख्या-1916 / 15-7-09-01(299) / 2007 दिनांक 14 जुलाई, 2009 में वर्णित प्रविधानों के अन्तर्गत गठित समिति की बैठक दिनांक 11.02.2019 को आहूत की गई। उक्त बैठक में समिति के सदस्यों की संस्तुति एवं सम्बन्धी विचारपत्र निम्नलिखित शर्तें, जो शिक्षण संस्था द्वारा अपने सोसायटी/ द्रष्ट के बाइलाज में समाहित कर लिया गया है, का पालन करने के अवधीन अनापति प्रदान की जाती है।

- (क) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (ख) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (ग) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के नेत्रादी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद / बोर्सिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (घ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की नोंग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सबद्धता सेन्ट्रल गोर्ड औफ सेकेण्डरी एज्केशन नई दिल्ली / काउन्सिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एज्ञानिमिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परिका परिवर्दों से सम्बद्धता प्राप्त होने की लिंग से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान न्यता: समाप्त हो जायेगा।
- (इ) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्र कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- (ज) कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिपुत्ता लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (क) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो आदेश निराप किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
- (ल) विद्यालय का दिक्कार्ड निर्धारित प्रपत्र / परिज्ञाकाओं में रखा जायेगा।
- (म) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा एकूल बस में छात्र/ छात्राओं की सुरक्षा हेतु जारी निर्देश संख्या CBSE/AFF/Circular-8/2017/1217401 दिनांक 23.02.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (न) उक्त के अतिरिक्त विद्यालय के अन्तर्गत दिये गए परिशिष्ट-3 के कम 5, 6, जो निम्नवत हैं-
- (१) विद्यालय के प्रधानाचार्य/ प्रधानाचार्यपक सहित सभी शिक्षण कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता वही होगी, जैसा कि यथास्थिति काउन्सिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एज्ञानिमेशन / सेन्ट्रल गोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एज्केशन में वर्णित हो सुख्यतः कक्षा-12 के प्रधानाचार्य किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातकोत्तर उपायि तथा प्रशिक्षित होंगे। कक्षा-10 तक के प्रधानाचार्यपक किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातकोत्तर उपायि तथा प्रशिक्षित होंगे। कक्षा-11 से 12 में पकाने वाले अध्यापक उस विषय के स्नातकोत्तर होंगे, जिसमें शिक्षण-कार्य ...क००प०७०...